345 23
7-2-2023

5.10
07-2-23

कार्यालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंगरौली, मुख्यालय वैढ़न, जिला–सिंगरौली (म॰प्र॰)

क्रमांक– ....07...... / सी.जे.एम. / 2023 सिंगरौली, दिनांक 07.02.2023

:: संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश ::

मैं के.पी. सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंगरौली (म॰प्र॰) प्रशासनिक कार्य व्यवस्था की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) और 15(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक 2023 प्रभावशील दिनांक 10.01.2023 में निम्नलिखित संशोधन करता हूं :–

1. आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक के कॉलम नंबर 1 के पैरा नंबर 1 से "138 एन. आई. एक्ट, प्रायवेट परिवाद पत्र" लेख हो गया है, जिसको विलोपित कर कॉलम नंबर 1 के पैरा नंबर 20 में स्थापित किया जाता है।

2. भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23.12.2022 के अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन अनुसार –
आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक 2023 के नोट कमांक 13 स्थापित किया जाता है कि स्वापक औषधि अधिनियम 1985 की धारा 52क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उदभूत स्वापक औषधि अधिनियम 1985 की धारा 52क आवेदन का निराकरण प्रभावी कार्य विभाजन / वितरण आदेश अनुसार अपनी क्षेत्राधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र का निराकरण करेंगे।

Sd
(के.पी. सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिंगरौली मुख्या॰ बैढ़न (म॰प्र॰)

पृ0क्र0/ 21 (1) / सी0जे0एम0 / 2023 सिंगरौली, दिनांक– 07.02.2023

1. कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सिंगरौली की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निष्पादन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंगरौली।
3. श्री नीरज पवैया, जे.एम.एफ.सी. सिंगरौली मुख्या. वैढ़न।
4. श्री अभिषेक कुमार, जे.एम.एफ.सी. सिंगरौली मुख्या. वैढ़न।
5. श्रीमती प्रितांजली सिंह, जे.एम.एफ.सी. सिंगरौली, मुख्या. बैढ़न।
6. श्री आयुष कनेल, प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्यायबोर्ड, सिंगरौली मुख्या. बैढ़न।
7. सुश्री शाम्भवी सिंह, जे.एम.एफ.सी. सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न।
8. श्रीमती आयुषी शर्मा, जे.एम.एफ.सी., देवसर, जिला सिंगरौली।
9. श्री हर्ष ठाकुर, जे.एम.एफ.सी., देवसर, जिला सिंगरौली।
10. श्रीमती तनवी माहेश्वरी ठाकुर, जे.एम.एफ.सी. देवसर, जिला सिंगरौली।
11. श्री देवांश अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी., देवसर, जिला सिंगरौली।
12. पुलिस अधीक्षक सिंगरौली की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सिंगरौली जिले के समस्त थाना प्रभारी को सूचित करने का कष्ट करें।
13. सिस्टम ऑफिसर सर्वर रूम जिला न्यायालय बैढन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश को तत्काल जरिए मेल पृष्ठांकन अनुसार सूचित करे।
14. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बैढन की ओर सूचनार्थ।

(के.पी. सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिंगरौली मुख्या॰ बैढ़न (म॰प्र॰)